संख्या- 2473/2022/2473/नौ-8-22-53ज/2017

प्रेषक,

डा. राजेन्द्र पैसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊः दिनांक 06 दिसम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत निकायों का चयन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराया जाना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश की छोटी नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना प्रारंभ की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से प्रतिवर्ष 01 निकाय का चयन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु उक्त योजनान्तर्गत निकायों के चयन हेतु शासनादेश सं0 1100 / नौ-8-22-53/2017 दिनांक 08.08.2022 निर्गत किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 777 / नौ-8-18-53ज/ 2017टी0सी0 दिनांक 21.03.2018 के प्रस्तर-4 में निकायों के चयन के संबंध में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

(क) प्रत्येक जनपद की ऐसी नगर पंचायत का चयन किया जायेगा, जहाँ विगत तीन वर्षों में गृहकर, जलकर व अन्य कर की औसत कुल माग का 50 प्रतिशत वसूली की गयी हो, जिस जनपद में ऐसी नगर पंचायत न हो उस जनपद में योजनान्तर्गत जनपद की सबसे छोटी नगर पालिका का चयन किया जायेगा।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निकायों की भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण निकाय जनपद के मा० जनप्रतिनिधियों (सांसद / विधायक) के परामर्श /सहमति से चयनित करके संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी। जनपद की नगर पंचायतों में से सबसे कम जनसंख्या वाली नगर पंचायतों को इस योजना से आच्छादित किये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी। निकाय का चयन शासन द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

2. उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 108 नवीन नगर पंचायतों का सृजन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किया गया है। चूंकि नवसृजित नगर पंचायतों में बार वसूली का प्राविधान अभी लागू नहीं है। अतः कर वसूली शून्य होने के कारण नवसृजित नगर पंचायते उक्त शासनादेश दिनांक 21.03.2018 के उक्त प्रस्तर के की शर्तों को पूर्ण न करने के कारण चपन से बंचित हो जाती है और उनके स्थान पर नगर पालिका परिषद का चयन किया जाता है, जबकि आधारभूत विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत नवसृजित नगर पंचायतों का चयन किया जाना अधिक आवश्यक है।

3. उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 21.03. 2018 के प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर-क में संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था स्थापित की गयी है:-

"नवसृजित नगर पंचायतों के चयन में वसूली की शर्तें लागू नहीं होगी और वे चयन की पात्रता सूची में रखी जायेगी ।"

4. शासनादेश दिनांक 21.03.2018 के प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर-ख में स्थापित व्यवस्था यथावत रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. **अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर-3 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर नियमानुसार निकायों का चयन कर संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिन जनपदों में नवसृजित निकायों का गठन नहीं हुआ है, उन जनपदों में शासनादेश दिनांक 21.03.2018 में दी गयी व्यवस्था प्रभावी रहेगी।**

भवदीय,

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(के.पी. सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।